

# राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2019-20

## 10वीं कक्षा

### सामाजिक विज्ञान

### मॉडल पेपर 7

समय : 3¼ घंटे

(पूर्णांक : 80)

#### परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश :-

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
2. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
4. जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
- 5.

प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न	उत्तर की शब्द सीमा
1-10	1	20 शब्द
11-19	2	40 शब्द
20-26	4	100 शब्द
27, 29	6	150 शब्द
28	7	150 शब्द

6. प्रश्न संख्या 30 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 5 अंक का है।
7. प्रश्न संख्या 24 व 27 से 29 तक में आंतरिक विकल्प है।

1. उस शासक का नाम बताइए, जो प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था? 1  
उत्तर :  
हर्षवर्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था।
2. बाबर द्वारा भारत में लड़े गए चार युद्धों के नाम बताइए? 1  
उत्तर :  
बाबर द्वारा भारत में लड़े गए चार युद्ध निम्नलिखित हैं-
  1. पानीपत का प्रथम युद्ध (अप्रैल, 1526)
  2. खानवा का युद्ध (मार्च, 1527)
  3. चन्देरी का युद्ध (जनवरी, 1528)
  4. घाघरा का युद्ध (मई, 1529)
3. लोकतन्त्र शासन में सरकार का निर्माण कौन करता है। 1  
उत्तर :  
लोकतन्त्र शासन में सरकार का निर्माण जनता द्वारा होता है।
4. गुजरात और पंजाब से पाइपलाइनों की शाखाओं के बारे में बताइए। 1  
उत्तर :  
**पहली शाखा** : गुजरात में सलाया से वीरम गाँव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है।  
**दूसरी शाखा** : वड़ोदरा के निकट कोयली को चक्शु व अन्य स्थानों से जोड़ती हैं।
5. राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य उद्देश्य बताइये। 1  
उत्तर :  
राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-
  1. भारत के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सम्मिलित करना।
  2. नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करना।
6. एनआईटीआई आयोग का पूरा नाम लिखिए। 1  
उत्तर :  
एनआईटीआई आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है।

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्व्ड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।

7. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौनसा संगठन करता है? 1  
**उत्तर :**  
 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है।
8. बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? 1  
**उत्तर :**  
 वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है किन्तु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।
9. आर्थिक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? 1  
**उत्तर :**  
 आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से है। यह एक मात्रात्मक अवधारणा है।
10. माँग प्रेरित मुद्रास्फीति व लागत प्रेरित मुद्रास्फीति से क्या आशय है? 1  
**उत्तर :**  
 समग्र माँग में वृद्धि होने के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे माँग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं जबकि लागतों में वृद्धि होने के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं।
11. मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन-कौन से हैं? 2  
**उत्तर :**  
 अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को-  
 1. राज्य के प्रशासनिक कार्य तथा व्यवस्थापनों के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से अवगत कराये।  
 2. राज्यपाल राज्य के प्रशासन आदि के सम्बन्ध में जो सूचना माँगे, उसे दे।  
 3. यदि किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय दे दिया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद् के विचार के लिए रखना चाहिए।
12. बावड़ियों की पाँच विशेषताएँ लिखिए। 2  
**उत्तर :**  
 बावड़ियों की पाँच प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं-  
 1. बावड़िया चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुलाकार आकार में निर्मित होती है।  
 2. इनके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक कलात्मक पत्थरों तथा ईंटों का प्रयोग किया जाता है।  
 3. इनके आगे आँगननुमा भाग होते हैं।  
 4. इन आँगननुमा भागों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ मिलती हैं।  
 5. ये सीढ़ियाँ कलात्मक मेहराब व स्तम्भ तथा झरोखों से युक्त होती हैं।
13. जायद फसलें कौनसी होती हैं? 2  
**उत्तर :**  
 जायद फसलें मुख्य रूप से चारा एवं हरी सब्जियों की फसलें हैं। ये फसलें फरवरी-अप्रैल में बोई जाती हैं तथा जून-जुलाई में काटी जाती हैं। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि मुख्य फसलें हैं।
14. अभ्रक का उपयोग लिखिए। 2  
**उत्तर :**  
 अभ्रक का उपयोग विद्युत उपस्करों के निर्माण में, बिजली उद्योगों, लालटेन की चिमनी बनाने, नेत्ररक्षक चश्में, हवाई जहाज के निर्माण तथा आयुर्वेदिक दवाओं में होता है।
15. 1948 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ क्या थी? 2  
**उत्तर :**  
 1948 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ निम्नलिखित थी-  
 1. 1948 की औद्योगिक नीति में रोजगार, कृषि और निर्यात पर आधारित नए उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।  
 2. इसमें पूंजी और कच्ची सामग्री की कमी और अप्रचलित तकनीक जैसे मुद्दों को समाप्त करने के साथ उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली वस्तुओं के उत्पादन पर फोकस भी किया गया था।
16. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) 2000 का गठन क्यों किया गया? 2  
**उत्तर :**  
 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को (प्रति 1000 में) 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परिवार नियोजन को एक जन केन्द्रीय कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एन.पी.पी.) 2000 का गठन किया गया।
17. भारत सरकार के प्रमुख संचार नेटवर्क का उल्लेख करते हुए इनके फैलाव एवं घनत्व के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 2  
**उत्तर :**  
 संचार सभी को परस्पर जोड़ने का मुख्य साधन है। भारत सरकार के प्रमुख संचार नेटवर्क के अन्तर्गत डाक संचार, रेडियों, दूरदर्शन, समाचार-पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि आते हैं। दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व के 10 बड़े देशों में स्थान रखता है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के दो तिहाई से अधिक गाँव एस.टी. डी. दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एस.टी.डी. सुविधा के विशेष प्रबन्ध किये हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के वृहत्तम संचार तंत्र में से एक है।
18. भावी नागरिकों को यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, क्यों? 2  
**उत्तर :**  
 यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही के कारण देश में सड़क दुर्घटनाएँ एवं सड़क हिंसा की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती

जा रही हैं, इसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इससे लोगों के जीने का अधिकार छीन रहा है तथा यह प्रजातंत्र के आधारभूत प्रभाव को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि भावी नागरिकों को यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाए।

19. WHO का पूरा नाम क्या है? इसके अनुसार स्वच्छता का आशय स्पष्ट कीजिए। 2

उत्तर :

WHO का पूरा नाम है **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (World Health Organisation) है। इस संस्था के अनुसार स्वच्छता के लिए आवश्यक है कि-

1. मानव के मल-मूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भण्डारण, उपचार निस्तारण तथा पुनः प्रयोग किया जाये।
2. औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण प्रबन्धन।
3. खतरनाक कचरा जैसे- रासायनिक कचरा, रेडियोएक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण प्रबन्धन किया जाये।

20. हूण शासकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4

उत्तर :

**हूण शासक-** हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, जिसने शकों की भाँति भारतवर्ष में उत्तर-पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया। इन्हें **दैत्य** के नाम से भी जाना जाता था। 458 ई. के लगभग स्कन्दगुप्त के काल में इनका आक्रमण हुआ, जिसमें इनकी पराजय हुई। कालान्तर में तोरमाण नाम के सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिन्ध और मालवा पर अधिकार कर लिया तथा **महाराजाधिराज** की पदवी धारण की। तोरमाण का पुत्र महिरकुल था जिसका राज्य 510 ई. से प्रारम्भ हुआ। **स्यालकोट** इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया था। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे परास्त किया, पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गयी। देश एक बार फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया।

21. मुगलकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ बताइए? 4

उत्तर :

मुगलकालीन प्रशासन भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला-जुला रूप थी। बादशाह शासन का **अधिपति** व सर्वेसर्वा होता था। वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यह केन्द्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था। प्रत्येक अधिकारी पहले सैनिक और बाद में किसी और पद पर आसीन होता था। पद के अनुसार अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। बादशाह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायधीश होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी, जात और सवार में विभाजित थी। प्रान्तीय शासन सूबों में विभक्त था। इनमें सूबेदार, दीवान, सदरकाजी, प्रान्तीय बख्शी व कोतवाल आदि सम्मिलित होते थे। किले का शासन फौजदार व कानूनगो के हाथों में था। प्रशासन की समस्त शक्तियाँ निरंकुश राजा में समाहित होती थीं। राजा की आज्ञा ही कानून समझी जाती थी।

22. इटली के एकीकरण में मैजिनी (मेत्सिनी) के योगदान का उल्लेख कीजिए। 4

उत्तर :

मैजिनी (मेत्सिनी) इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा था। 1831 ई. में इन्होंने फ्रांस में 'युवा इटली' नामक संस्था की स्थापना की। उसे इटली की एकता और युवाशक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। मैजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटलीवासियों को तीन नारे दिये-

1. परमात्मा में विश्वास रखो।
2. सब भाइयों को एक साथ मिलाओ।
3. इटली को मुक्त करो।

युवा इटली संस्था के उद्देश्य थे-

1. इटली की एकता तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति।
2. स्वतन्त्रता, समानता तथा जनकल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो।

मेत्सिनी एक महान् दार्शनिक होने के साथ-साथ एक दूरदर्शी राजनेता भी था। अतः उसने जन-संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया। उसके प्रचारों ने इटली के राजनीतिक क्षेत्र को विस्तृत कर दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में एक विशाल जनमत का निर्माण किया।

**इयूटीज ऑफ मैजिन** नामक पुस्तक में उसने इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र-प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। उसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बल दिया। मेत्सिनी के प्रयासों के परिणामस्वरूप इटली में लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रीयता की भावनाएँ विकसित हुईं और उसी के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि पर भविष्य के नेताओं ने इटली के एकीकरण को पूरा किया।

23. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? 4

उत्तर :

लोकतंत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जनता की, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएँ छिपी हुई हैं-

1. लोकतांत्रिक शासन में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार में होते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन प्रतिनिधियों को यह भय होता है कि यदि वे लोगों के हितों की अनदेखी करेंगे तो अगले चुनावों में लोग उन्हें विजयी नहीं बनाएँगे। अतः लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है।
2. लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार प्रदान करता है, क्योंकि इसका निर्माण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करते हैं तथा उसी के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है।
3. लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऐसे प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार की सरकार वैध होती है।

24. निजीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले संभावित खतरों को समझाइये। 4

**उत्तर :**

निजीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले संभावित खतरे निम्न हैं-

1. निजीकरण से समाज के निम्नतम वर्गों की उपेक्षा होने की आशंका बनी रहती है। दलित एवं जनजातीय वर्गों पर इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है।
2. निजीकरण से देश में आय की असमानता बढ़ने का भय रहता है तथा देश में असन्तुलित विकास को बढ़ावा मिलता है।
3. निजीकरण द्वारा एकाधिकार शक्तियों को बढ़ावा मिलता है।
4. कर्मचारी सेवा सुरक्षा नहीं होने के कारण निजीकरण के नाम से कांपते हैं तथा उनमें भय व्याप्त हो जाता है।
5. निजीकरण से देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
6. सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना एवं भारी उद्योगों के विकास में निजी क्षेत्र कोई विशेष रुचि नहीं दिखाता।

**अथवा**

24. उदारीकरण क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभावों की चर्चा कीजिए। 4

**उत्तर :**

उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति अर्थात् उदारीकरण अर्थव्यवस्था को नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप और राज्य द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की प्रक्रिया है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. उदारीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।
2. अब हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक संरचना को बहाल करना बहुत मुश्किल है जिसे उदारीकरण द्वारा नष्ट कर दिया गया है।
3. भारत पूंजीवादी देशों का एक अच्छा व्यापारिक गंतव्य स्थल बन गया है क्योंकि विशाल आबादी और बड़ा मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों को व्यापक और विविध बाजार प्रदान करता है।

25. भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के चार प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। 4

**उत्तर :**

भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के प्रमुख चार स्रोत निम्नलिखित हैं-

1. **साहूकार** - ग्रामीण परिवारों का लगभग 30 प्रतिशत अपने ऋण के लिए साहूकारों पर निर्भर करता है। ग्रामीण साहूकार बिना किसी समर्थक ऋणाधार के ऋण देते हैं। लेकिन इनके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है।
2. **सहकारी समितियाँ** - ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जमा धन का लगभग 27 प्रतिशत भाग सहकारी समितियों से प्राप्त होता है इनकी ब्याज दरें अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में कम होती हैं।
3. **व्यावसायिक बैंक** - भारत में ग्रामीण परिवारों के द्वारा दिए गए

कुल ऋण का लगभग 25 प्रतिशत भाग व्यावसायिक बैंकों का होता है। ये अनौपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

4. **स्वयं सहायता समूह** - स्वयं सहायता समूह में 15-20 सदस्य होते हैं। इनमें गरीब लोगों की बचत पूँजी को एकत्रित किया जाता है। एक-दो वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। बैंकों द्वारा ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

26. उपभोक्ता शोषण को किस प्रकार रोका जा सकता है? 4

**उत्तर :**

उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ता को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए तभी उपभोक्ता शोषण से बच सकता है।

उपभोक्ता को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है-

1. डिब्बा बंद या पैक वस्तु पर लगे लेबल पर आवश्यक सूचनाएँ आवश्यक रूप से देखना।
2. आई.एस.आई एगमार्क तथा एफ.पी.ओ आदि मोहर लगे उत्पादों को प्राथमिकता देना।
3. माल क्रय करने से पूर्व वस्तुओं व सेवाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।
4. वस्तु के विज्ञापन में बतायी गयी विशेषताओं का यथार्थ स्थिति से मिलान कर तथा गारण्टी या वारण्टी की शर्तों को ठीक से समझकर माल क्रय करना।
5. ध्यान दिया जाये कि वस्तु को मापने-तौलने के लिए प्रमाणित बाट या माप ही प्रयोग में लाए गये हों।
6. जिन वस्तुओं के लिए राज नियम द्वारा मूल्य सूची जारी है तो उससे अधिक मूल्य नहीं देना।
7. सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाये गये नियमों, कानूनों की जानकारी रखना।
8. शोषण व अन्याय के विरुद्ध उपभोक्ता संगठनों को जानकारी देना तथा समस्त अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना।

27. बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। 6

**उत्तर :**

बक्सर के युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं-

1. मीर कासिम ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए यूरोपियन अधिकारी भर्ती किए।
2. उसने अंग्रेजों के कर-मुक्त व्यापार पर रोक लगाने का भी प्रयास किया।
3. बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा किये गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से अंग्रेज नाराज हो गए।
4. मीर कासिम प्लासी की पराजय का बदला लेना चाहता था।
5. जब 1763 में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों के साथ-साथ निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी तो अंग्रेज बड़े नाराज हुए।

उपरोक्त कारणों से 22 अक्टूबर, 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई।

सभी गुरुजनों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्वड मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए 9460377092 पर सिर्फ TEACHER शब्द व्हाट्सएप करें।  
आपसे संपर्क कर आपको विशेष रूप से मॉडल पेपर भेजे जाएंगे।

**बक्सर के युद्ध के परिणाम-**

1. बंगाल के प्रांत पर पूरी तरह अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
2. अवध का नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। उसने अंग्रेजों को 50 लाख रुपये हर्जाना देना स्वीकार किया और उन्हें अवध में बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति दे दी।
3. मुगल सम्राट शाह आलम ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी।
4. इस विजय से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव दृढ़ हो गई।

**अथवा**

27. बिजौलिया किसान आन्दोलन का वर्णन कीजिए। 6  
उत्तर :

**बिजौलिया किसान आन्दोलन के कारण-**

1. राव कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया जागीर से भारी लगान के अलावा 84 प्रकार की लागतें तथा बाग-बेगारें ली जाती थीं।
2. 1903 ई. में बिजौलिया के शासक कृष्णसिंह के द्वारा एक नया चँवरी कर लगाया गया (लड़की के ब्याह पर राजा को कर देना पड़ता था)।
3. 1906 ई. में राव कृष्ण की मृत्यु के बाद पृथ्वीसिंह बिजौलिया का शासक बना। पृथ्वीसिंह ने जनता पर नया तलवार बँधाई कर लगाया। इसके साथ ही कृष्ण राव द्वारा दी गई रियायतों को भी समाप्त कर दिया।

इन सभी कारणों ने बिजौलिया किसान आन्दोलन को जन्म दिया।

**बिजौलिया किसान आन्दोलन का प्रारम्भ-**

1. 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों से हुई संधि के फलस्वरूप राजस्थान के राजा बाह्य आक्रमणों मराठों व पिण्डारियों के आतंक से मुक्ति पाकर स्वेच्छाचारी हो गए तथा स्वच्छन्द ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताने के लिए राजा-महाराजा तथा उनके जागीरदार जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते गये, जिससे किसानों का शोषण, उन पर अत्याचार और बेगारी का आलम अधिक बढ़ गया।
2. राजाओं-महाराजाओं और जागीरदारों के इस स्वेच्छाचारी आचरण से किसानों में असन्तोष बढ़ गया, जिसका पहला विस्फोट सन् 1897 ई. में मेवाड़ के जागीर क्षेत्र बिजौलिया में हुआ।
3. 1913 में साधु सीतारामदास के नेतृत्व में बिजौलिया में किसान आन्दोलन चला।
4. 1916 ई. के बाद विजयसिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया।
5. पथिक ने बिजौलिया के आस-पास के इलाके में युवकों में देश-भक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नाम से एक पत्र भी निकाला। माणिक्यलाल वर्मा और भंवरलाल स्वर्णकार ने भी अपनी कविताओं से जनता में जागृति उत्पन्न की।
6. पथिक ने बिजौलिया किसान आन्दोलन को भारतीय स्तर पर लोकप्रिय प्रताप नामक समाचार-पत्र के माध्यम से बनाया।
7. बिजौलिया किसान आन्दोलन 1897 ई. से 1941 ई. तक चला।

28. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। 7  
उत्तर :

भारतीय संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान कि हैं जो निम्न प्रकार हैं:

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार** - प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131) में वे मामले आते हैं जिनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। इस प्रकार के मामले निम्न हैं:
  - (a) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवाद।
  - (b) ऐसे विवाद जिसमें एक ओर केन्द्र सरकार और एक या अधिक राज्यों की सरकार हो और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की सरकार हो।
  - (c) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो।
  - (d) मूल अधिकार की रक्षा से संबंधित विवाद भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं।

2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार** - सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च एवं अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध निम्न तीन प्रकार के मामलों की अपीलें सुनी जा सकती हैं-

(a) संवैधानिक मामले।

(b) दीवानी मामले।

(c) फौजदारी मामले।

इनके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है।

3. **मूल अधिकारों का संरक्षक** - यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत पांच प्रकार के लेख जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इन लेखों में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा सम्मिलित हैं।

4. **संविधान का संरक्षक** - भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमण्डल कोई ऐसा कानून बनाए जो या तो संविधान के विरुद्ध हो या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्ति कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी प्राप्त है।

5. **परामर्श का अधिकार** - भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत किन्हीं संवैधानिक मामलों में या ऐसे मामलों में जिनमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यद्यपि वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।

6. **पुनर्विचार का अधिकार** - संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार निम्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है।

(a) संवैधानिक मामले

(b) दीवानी मामले

(c) फौजदारी मामले

सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इसके निर्णयों को भविष्य में देश के किसी भी

न्यायालय में पूर्व उदाहरण (साक्षी) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना (न्यायालय का अपमान) के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

इस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय जहां एक ओर संविधान का संरक्षक है तथा भारत की संघीय व्यवस्था की रक्षा करता है वहीं दूसरी ओर नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक है। इस कारण इसको 'लोकतंत्र का सजग प्रहरी' कहा जाता है।

### अथवा

28. प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियों एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। 7

उत्तर :

प्रधानमंत्री लोकसभा का, मंत्रिपरिषद् का, सरकार का तथा देश का नेता होता है। सम्पूर्ण देश की बागडोर वस्तुतः उसी के हाथ में रहती है। उसे अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य तथा अधिकार अग्र प्रकार हैं:

1. **मंत्रिपरिषद् का निर्माण** – प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है तत्पश्चात् प्रधानमंत्री अपने इच्छित व्यक्तियों के नाम की सूची राष्ट्रपति के पास भेजता है। सामान्यतया राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, तब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद् बनाकर विभिन्न मन्त्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपता है। प्रधानमंत्री चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी मन्त्री बना सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है परन्तु उसे मन्त्री बने रहने के लिए आवश्यक है कि वह अगले छः माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। मंत्रिपरिषद् को बनाना, समाप्त करना या मन्त्रियों की संख्या कम अथवा अधिक करना आदि प्रधानमंत्री का ही कार्य है। परन्तु अब (91वें संविधान संशोधन द्वारा) यह निर्धारित है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लॉर्ड मॉर्ले के शब्दों में "प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल के वृत्तखण्ड का केन्द्र-बिन्दु है।"
2. **कार्यपालिका का प्रधान** – देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् के हाथ में रहती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का मुख्य अंग और शासन का मुखिया है। स्वयं संविधान ने उसे मंत्रिपरिषद् का नेता स्वीकार किया है।
3. **शासन का प्रधान** – प्रधानमंत्री देश के शासन का प्रधान प्रबन्धक होता है क्योंकि वही देश के शासन को विभिन्न विभागों में बांटता है और उन विभागों की जिम्मेदारी अपनी इच्छा और उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न मन्त्रियों को सौंपता है। उनकी नीतियों को निर्धारित करता है। किसी भी विभाग की गम्भीर भूल के लिए प्रधानमंत्री को ही दोषी ठहराया जाता है।
4. **मन्त्रिमण्डल (केबिनेट) का प्रधान** – प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान होता है क्योंकि वही मन्त्रिमण्डल की बैठकों का समय और विचार के विषय निश्चित करता है और बैठकों में सभापति का पद सम्भालता है। बैठक के समय उठे किसी विवाद को वही सुलझाता है। यदि किसी मन्त्री की राय प्रधानमंत्री से नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है।

5. **लोकसभा का नेता** – प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता भी होता है, क्योंकि लोकसभा में प्रमुख नीतियों की घोषणा, उसकी बहसों का सूत्रपात तथा लोकसभा की कार्यवाही के संबंध में सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही होती हैं। प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग करवाना है।

6. **मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति के बीच की प्रमुख कड़ी** – प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति के बीच की प्रमुख कड़ी है। उसी के द्वारा मंत्रिपरिषद् की नीतियों एवं निर्णयों आदि की जानकारी राष्ट्रपति को नियमित रूप से दी जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से ही अपना परामर्श मंत्रिपरिषद् को भेजता है। प्रधानमंत्री समय-समय पर राष्ट्रपति से भेंट करता है।

7. **राष्ट्र का प्रधान नायक** – प्रधानमंत्री देश या राष्ट्र का प्रधान नायक होता है। देश के शासन की सम्पूर्ण बागडोर उसी के हाथ में रहती है। उसे अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जनता देश की प्रगति के लिए उसी की ओर देखती है। राष्ट्र का प्रधान नायक होने के कारण वह देश का नेतृत्व करता है।

29. उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए। 6

उत्तर :

उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है-

1. **प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र** – मूल अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित विवाद प्रारम्भ में ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं-बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत, विवाह-विच्छेद, विवाह-विधि, कम्पनी कानून तथा उच्च न्यायालय की अवमानना इत्यादि से संबंधित मुकदमे सुनने का भी अधिकार है।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनता है जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकार के अभियोग सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदण्ड के आदेश पर उच्च न्यायालयों की पुष्टि आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पूरे उच्च न्यायालय (बैंच) में पुनः अपील की जा सकती है। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व सम्बन्धी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परन्तु अब उच्च न्यायालय को राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमों की भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ये अपीलें 'राजस्व मण्डल' के निर्णयों के विरुद्ध होती हैं।
3. **लेख जारी करने का अधिकार** – मूल संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश तथा निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु पांच प्रकार के लेख (रिट) जारी किए जा सकते हैं। ये लेख हैं- बन्दी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,

उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा।

4. **न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति** – न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आशय है “संवैधानिक संशोधन, केन्द्रीय या राज्य के कानूनों की संविधान के आधार पर जांच और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित करना।” संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की यह शक्ति प्रदान की गई है और उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वे किसी भी ऐसे संवैधानिक संशोधन, केन्द्रीय कानून या राज्य के कानून को अवैधानिक घोषित कर दें, जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है।
5. **उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में** – उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है जिसका तात्पर्य यह है कि इसकी कार्यवाही तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इसे अपने अपमान (अवमानना) के लिए दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है।
6. **प्रशासनिक शक्तियां** – उच्च न्यायालय को न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त अपने राज्य की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर निम्न प्रकार से नियन्त्रण रखता है–
  - (a) उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखते हैं। अपने निरीक्षण के अधिकार के अन्तर्गत वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से सम्बन्धित कागजात मंगवाकर देख सकते हैं।
  - (b) यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है।
  - (c) उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में भेज सकता है।
  - (d) अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति, रिकार्ड और रजिस्टर तथा हिसाब इत्यादि रखने के सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है।
  - (e) वह अधीनस्थ न्यायालय के क्लर्क, अन्य कर्मचारियों तथा वकीलों आदि के वेतन, सेवा-शर्तें और फीस निश्चित कर सकता है।
  - (f) वह जिला न्यायालय तथा इससे छोटे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति और छुट्टी इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बना सकता है।
  - (g) उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पास होती है।

**अथवा**

29. राज्य उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए। 6

**उत्तर :**

राज्य उच्च न्यायालय का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है–

1. भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार

- प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
2. संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या दो राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था करती है।
3. उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है तथा राज्य के अन्य न्यायालय उसके अधीन होते हैं।
4. संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है, परन्तु राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
5. न्यायाधीशों की संख्या तीन से 48 तक भिन्न-भिन्न होती है। सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको राष्ट्रपति भिन्न-भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है।
6. अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश भी दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं।
7. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह कर सकता है।

30. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात संयंत्रों को दर्शाइए– 5

1. भिलाई
2. राउरकेला
3. जमशेदपुर
4. दुर्गापुर
5. भद्रावती।

**उत्तर :**



\*\*\*\*\*

सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि RBSE के सॉल्व्ड मॉडल पेपर/डेस्क वर्क प्राप्त करने के लिए 9460377092 को अपनी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में एड करें। आपकी क्लास के व्हाट्सएप्प ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे।